राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– प.22(303)परि / प्रवर्तन / SDRI / 2018/12487 जयपुर,दिनांक :– 11/06/2018

आदेश

वाहन 4.0 मोड्यूल पर किसी भी वाहन के चालान बकाया होने, वाहन के कर जमा नहीं होने की स्थिति में एवं फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के उपरान्त संबंधित वाहन की समस्त सर्विसेज लॉक किये जाने का प्रावधान उपलब्ध है। इससे संबंधित वाहन द्वारा किसी भी परिवहन कार्यालय में किसी भी प्रकार की सेवाएं प्राप्त नहीं की जा सकती है।

अतः राजस्व वसूली के दृष्टिगत किसी भी वाहन के चालान बकाया होने, वाहन के कर जमा नहीं होने की स्थिति में एवं फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति के उपरान्त वाहन 4.0 पर इन वाहनों को लॉक किया जावे। इन लॉक किये गये वाहनों को वाहन के मूल पंजीयन अधिकारी द्वारा अथवा लॉक करने वाले प्राधिकारी द्वारा ही खोला जा सकेगा।

उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे।

(शैलेन्द्र अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक :– प.22(303)परि / प्रवर्तन / SDRI / 2018 /12487-91 जयपुर,दिनांक :– 11/06/2018.

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
3. समस्त प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वाहन 4.0 में उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रावधान किये जाने हेतु।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)

Scanned by CamScanner